न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0पत्र रिव्यू सं0 132/2008
घासीलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम लवाण तहसील दौसा जिला दौसा राज0
.......प्रार्थी

बनाम

नारायण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम लवाण तहसील व जिला दौसा
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिव्यू अंतर्गत धारा 97(3) राज.पंचायती राज अधिनियम 1994 वास्ते पुनर्विचार करने आदेश जो निगरानी उनवानी घासीलाल बनाम नारायण मु0नं0 34/2008 में दिनांक 24.3.2008 को पारित किया गया है।

उपस्थित–1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय
दिनांक: 04.09.2024

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.3.2008 जो कि निगरानी सं0 34/2008 पर पारित किया गया है, से व्यथित होकर यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिव्यू में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 उपधारा 3 मे यह प्रावधान है कि 90 दिन की अवधि मे प्रार्थना पत्र पेश करने पर धारा 97 (1) अन्तर्गत पारित आदेश को श्रीमान रिव्यु फरमा सकते है, बशर्ते कि तथ्यात्मक या कानून की भूल से या सारवान तथ्यो की अनदेखी कर आदेश पारित कर दिया गया हो। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अंदर मियाद श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–08 के रिव्यु हेतु पेश किया जा रहा है। प्रार्थी ने एक निगरानी ग्राम पंचायत लवाण के निर्णय दिनांक 25–11–76 एवम पट्टा दिनांक 12–12–75 के विरूद्ध धारा 97 (1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम अन्तर्गत पेश की थी जिसको खारिज करने का आदेश श्रीमान ने दिनांक 24–3–08 को फरमा दिया जिसमें अनेक तथ्यात्मक भूल कानून की गलती तथा सारवान तथ्यो की अनदेखी की गई है जिस कारण यह आदेश रिव्यु किये जाने योग्य है। जो तत्यात्मक भूल एवम सारवान तथ्यो की अनदेखी की गई है वह इस प्रकार है " प्रार्थी व अप्रार्थी सगे भाई है और ग्राम लवाण मे स्थित पैतृक खाम मकान का दक्षिण आधा भाग अप्रार्थी का है तथा उत्तरी आधा भाग प्रार्थी का है परन्तु अप्रार्थी ने सन 1970 मे दक्षिण की और एक नया दरवाजा खाम मकान बनाने [illegible] जिस पर ग्राम पंचायत लवाण ने दिनांक 19–7–70 को दक्षिण की और [illegible] निकालने की इजाजत दी थी इसके छः साल बाद तारीख 13–9–[illegible] मकान के स्थान पर पुख्ता मकान बनाने हेतु पट्टा देने [illegible] सन 1976 मे, [illegible] साल बाद दिये गये पट्टे प्रार्थना कार्यवाही पंचायत ने नही [illegible] व केवल कोई नि[illegible] 1970 की पत्रावली को ही शमिल कर पूरी भूमि का 45 इंटू 28 140 वर्ग गज का पट्टा (विक्रय पत्र) अप्रार्थी के नाम चपरासी होने के नाते 31 पैसे प्रति वर्ग गज से 43 रूपये 40 पैसे लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

जारी कर दिया जो सरासर नियमो के विरूद्व एवम तथ्यो के खिलाफ है। परन्तु श्रीमान ने सन 1976 की पत्रावली पर तो गौर नही फरमाया कि न तो तीन पंचो ने मौका देखा न ही सार्वजनिक नोटिस दिया ना ही प्लासेबिल टाईटल बाबत साक्ष्य ली। कोई भी कार्यवाही किए बगैर अप्रार्थी को पट्टा देने के प्रार्थना पत्र दिनांक 13–9–76 पर दिनांक 25–11–76 को भूमि विकय करने का आदेश व पट्टा दे देने का आदेश गलत कर दिया परन्तु श्रीमान ने जो आदेश दिनांक 24–3–08 को फरमाया है उसमे पेज 2 के अन्तिम पैरा मे यह भूल से अंकित कर दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया तथा वार्ड पंचो से रिपोर्ट चाही गई। मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया। आपत्ति नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। ग्राम पंचायत के समक्ष श्री गोकुलचन्द शर्मा द्वारा विवादित भूमि पर उज्रदारी पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उज्रदार को सुनकर एवम दो गवाहो के बयान लेकर उज्रदारी का निस्तारण किया गया। पट्टे के विरूद्व जिला कलेक्टर जयपुर ने प्रस्तुत निगरानी भी खारिज कर दी गई थी।" इस प्रकार श्रीमान ने दिनांक 24–3–08 के आदेश मे जो ऑपरेटिव निर्णय फरमाया है उसमे 8 महान भूल स्पष्ट है प्रथम तो दिनांक 13–9–76 को पट्टा प्रदान करने की पत्रावली पंचायत ने बनाई है उसमे वार्ड पंचो से कोई मौका रिपोर्ट नही चाही गई है। दूसरी महत्वपूर्ण भूल यह है कि कोई मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली पर नही है तीसरा यह विवरण भी सरासर गलत है कि आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया जब कि ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नोटिस जारी ही नही किया। चौथी स्पष्ट गलती इस आदेश दिनांक 24–3–08 मे यह है कि श्रीमान ने यह अंकित कर दिया कि आपत्ति नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। यह सरासर गलत निर्णय दिया गया है क्योकि ग्राम पंचायत ने सन 1976 में पट्टा देने हेतु पत्रावली बनाई उसमे कोई आपत्ति नोटिस ही जारी नही किया इसलिए आपत्ति नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद होने का जो उल्लेख श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 24–3–08 मे किया है वह सरासर गलत किया है। दिनांक 24–3–08 के आदेश में श्रीमान ने पांचवा यह अंकन भी सरासर गलत कर दिया है कि ग्राम पंचायत के समक्ष श्री गोकुलचन्द शर्मा द्वारा विवादित भूमि पर उज्रदारी पेश की जब पट्टा संबंधित पत्रावली जिसकी निगरानी की गई है उसमें श्री गोकुलचन्द शर्मा या किसी भी द्वारा उज्रदारी पेश नही की गई। छठी स्पष्ट भूल आदेश दिनांक 24–3–08 मे यह है कि श्रीमान ने उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उज्रदार को सुनकर एवम दो गवाहो के बयान लेकर उज्रदारी का निस्तारण किया गया। जब निगरानी से संबंधित अधिनस्थ न्यायालय की पट्टा पत्रावली में श्री गोकुलचन्द शर्मा की कोई उजदारी ही पेश नही हुई तो उज्रदारी को सुनकर उज्रदारी का निर्णय करने का सवाल ही पैदा नही हुआ। श्रीमान के निर्णय में ऐसी जबरदस्त भूल कैसे हुई है और लगता है कि पट्टे से संबंधित पत्रावली के मुख्य तथ्यो को देखे बगैर ही आदेश में भूलवश लिख दिया है इसलिए स्पष्टतया पुर्नविचार योग्य है। सातवी स्पष्ट गलती इस आदेश दिनांक 24–3–08 मे यह है कि इसमें यह भी अंकित किया है कि दो गवाहो के बयान लेकर उज्रद[illegible]। जब पट्टा संबंधित पत्रावली में कोई उज्रदारी ही नही हुई इसलिए उसके [illegible] के कोई गवाहान के बयान नही लिए गए तथा संबंधित पत्रावली पर [illegible] है इसलिए श्रीमान ने अपने आदेश में दो गवाह का बया[illegible]या है वह भूलवश है। संबंधित रिकॉर्ड पर कोई गवाहान के बयान नही है इसलिए [illegible]व्यु करने के लिए यह स्पष्ट केस है। आठवी महत्वपूर्ण गलती श्रीमान के इस आदेश दिनांक 24–3–08 मे यह है कि श्रीमान ने इसमें यह लिख दिया है कि पट्टे के विरूद्व न्यायालय जिला कलेक्टर जयपुर मे प्रस्तुत निगरानी भी खारिज कर दी गई थी जब कि पट्टा दिनांक 12–12–76 के विरूद्व केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक ही निगरानी की गई जिसका श्रीमान ने 24–3–08 को निर्णय फरमाया है इससे पूर्व जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रार्थी या किसी भी द्वारा कोई निगरानी नही की गई और तारीख 12–12–76 के पट्टे के विरूद्ध जिला कलेक्टर जयपुर समक्ष निगरानी नही की गई। रिकॉर्ड के विरूद्ध स्पष्ट व सरासर भूल है जिसको सुधारने के लिए रिव्यु प्रार्थना पत्र ही कानूनन एक मात्र उपचार है।नवीं गलती श्रीमान के आदेश में यह भी है कि जब कि पट्टा ग्राम पंचायत लवाण द्वारा पारित गलत आदेश दिनांक 25–11–76 तथा पट्टा दिनांक 12–12–76 को यथावत स्थिति रखने का कोई आदेश नही है, एक अन्तरिम आदेश महज निर्माण न करने के बाबत है इसलिए उस अंतरिम आदेश के आधार पर मात्र श्रीमान ने निगरानी निरस्त करने का जो आदेश दिया है वह सरासर कानून की गलती है। धारा 97 (1) अन्तर्गत श्रीमान का कर्तव्य है कि पंचायत द्वारा पारित अवैध आदेश व अवैध पट्टे को निरस्त फरमाये। श्रीमान के विरुद्ध तो कोई अस्थाई निषेधाज्ञा भी नहीं है इसलिए उक्त अंतरिम निषेधाज्ञा के आधार पर श्रीमान ने निगरानी निरस्त करने में स्पष्ट कानूनी भूल की है। सारवान तथ्यात्मक गलती जो श्रीमान के आदेश दिनांक 24–3–08 मे की है वह इस प्रकार है:–अप्रार्थी ने दिनांक 29–3–70 को सरपंच ग्राम पंचायत लवाण को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि में अपने खाम (कच्चे) मकान की मरम्मत कराना चाहता हूँ और एक दरवाजा दक्षिण की और निकालना चाहता हूँ। इस तरफ पत्रावली पर कार्यवाही कर ग्राम पंचायत लवाण ने दिनांक 19–7–70 को यह फैसला कर दिया कि प्रार्थी अपने मकान की तरमीम (मरम्मत करवा सकता है तथा तरमीम मे दक्षिण की तरफ दरवाजा निकालने के बाद कोई चबूतरा नही बना सकेगा पंचायत का चपरासी होने के कारण रियायत की जाकर तरमीम फीस 1 रूपये 25 पैसे लिया जावे। यधपि इस पत्रावली का निर्णय दिनांक 19–7–70 को ही कर दिया गया था परन्तु अप्रार्थी द्वारा जब 6 साल बाद दिनांक 13–9–76 को भूमि विक्रय कर पट्टा देने और पुख्ता मकान बनाने की इजाजत देने हेतु जब प्रार्थना पत्र दिया गया तो सन 1970 की 6 साल पुरानी पत्रावली को भी पंचायत ने रिकॉर्ड से निकलवाकर इस पट्टा संबंधित पत्रावली के साथ संलग्न कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमान ने निर्णय दिनांक 24–3–08 को निर्णय करते समय यह स्पष्ट भूल की है कि सन 1976 की पत्रावली जो पट्टे से संबंधित है, उस पर तो गौर नही फरमाया अधीनस्थ पंचायत की यह पंचायती दिनांक 19–7–70 को फैसला हो चुकी थी उसको देखकर सरासर गलत निर्णय कर दिया है। यह स्पष्टतया भूल है या सारवान तथ्यो की अनदेखी या इग्नोरेन्स कारण हुई है इसलिए रिव्यु प्रार्थना पत्र स्पष्टतया स्वीकार किये जाने योग्य है। भूल पर भूल यह की गई है कि सन 1970 को दरवाजा निकालने संबंधी पत्रावली मे जो मौका रिपोर्ट 2 पंचो ने यह की थी की दरवाजा निकालने की इजाजत देने मे कोई आपत्ति नही है। उस रिपोर्ट को सन 1976 की पट्टा पत्रावली संबंध मे की गई रिपोर्ट गलत तौर से मान ली गई है। जब कि दिनांक 5–4–70 को की गई दो पंचो की रिपोर्ट केवल दक्षिण को दरवाजा निकालने हेतु दी। वह रिपोर्ट अप्रार्थी को 45 इंटू 28 कुल 140 वर्ग गज भूमि बेच देने व विक्रय कर देने के संबंध मे नही है। उल्लेखनीय यह भी है कि दिनांक 5.4.70 को दो पंचो द्वारा पेश की गई रिपोर्ट भी कानून के खिलाफ की गई है क्योंकि मौका देखने वाले 3 पंचो की नियुक्ति केवल पंचायत का कोरम ही कर सकता है अकेला सरपंच नही जब कि दिनांक 29–3–70 को प्रार्थना पत्र देने की अकेले सरपंच ने महादेव जी बद्रीनारायण जी, आनन्दीलाल को नियुक्त कर दिया है जो अनुचित व अवैध है इनमे भी महादेव ने मौका देखकर रिपोर्ट नही की है। जो आपत्ति नोटिस दिनांक 29–3–70 को जारी किया गया है वह दरवाजा निकालने के संबंध मे जारी किया गया था जब कि पट्टा देने वाली पत्रावली में कोई नोटिस जारी नही किया और कोई मौका नही दिखाया। गोकुलचन्द शर्मा ने जो उज्रदारी तारीख 3–5–70 को पेश की थी वह दरवाजा निकालने संबंधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली मे पेश की थी तथा 24—5—70 को उज्रदारी अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई। क्यो कि वह स्वयं भी अपनी उज्रदारी चलाने के लिए नही आया परन्तु सन 1970 में की गई उज्रदारी को भी सन 1976 की पट्टा संबंधी पत्रावली में मानकर व ऐसा निर्णय कर सरासर गलती की है। सन 1970 की दरवाजा संबंधी पत्रावली मे अप्रार्थी नारायण माली ने जो बयान दिया उसमे यह कहा है कि मैं अपने खाम मकान की जगह खाम मकान ही बनाना चाहता हूँ तथा दक्षिण की तरफ दरवाजा निकालना चाहता हूँ इसी संबंध में दो गवाहान के बयान भी करवाये। सन 1976 की पट्टा देने संबंधी पत्रावली में कोई बयान आदि नहीं लिया गया फिर भी श्रीमान ने यह भूलवश मान लिया है कि ग्राम पंचायत लवाण ने गवाहान आदि के बयान लेकर पट्टा सही जारी किया। श्रीमान का यह निर्णय तथ्यों की अनदेखी व गलती के कारण हुआ। आश्चर्यजनक मूल यह भी है कि श्रीमान ने सारवान तथ्यो की धौर अनदेखी कर या इग्नोरेन्स यह निर्णय कर दिया है कि पट्टे के खिलाफ जिला कलेक्टर जयपुर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो खारिज कर दी गई। अगर वास्तव में की गई होती तो प्रार्थी के निगरानी को निरस्त करना बिलकुल सही होता परन्तु अप्रार्थी को पंचायत लवाण ने जो पट्टा तारीख 12—12—76 को दिया है उसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह पहली निगरानी पेश की है जिसका श्रीमान ने तारीख 24—3—08 को निर्णय फरमाया है इस निगरानी पूर्व तारीख 12—12—76 के पट्टे के विरूद्ध कोई निगरानी प्रार्थी व किसी भी व्यक्ति ने जिला कलेक्टर जयपुर या अन्य कहीं भी नही की इस तरह श्रीमान ने जिला कलेक्टर जयपुर के तथाकथित निर्णय को पढे बगैर या समझे बगैर इग्नोरेन्स में गलत निर्णय कर दिया इसलिए यह रिव्यु प्रार्थना पत्र तत्काल स्वीकार किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर जयपुर का जो निर्णय बताया जाता है वह तो किसी गोपाल सुनार व नारायण माली के विवाद से संबंधित है, व विवाद भी अन्य भूमि या चबूतरा बनाने के संबंध में है इसलिए जिला कलेक्टर जयपुर का वह निर्णय तो इस निगरानी में अप्रासंगिक है। क्यो कि प्रथम तो उसमें प्रार्थी पक्षकार ही नही है इसलिए ऐवीडेंन्स एक्ट की धारा 43 अनुसार वह प्रार्थी के विरूद्ध साक्ष्य में लिया ही नही जा सकता। दूसरे जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश तो अन्य भूमि चबूतरे बाबत है जिसका विवाद गोपाल सुनार व नारायण माली के मध्य था। आश्चर्य ऐसे इररिलेवेन्ट प्रलेख को वादग्रस्त पट्टे से संबंधित यह निगरानी को सरासर गलत तौर से मान लिया गया है और साक्ष्य में ग्रहण तक करने योग्य ऐसे प्रलेख के आधार पर प्रार्थी की निगरानी को खारिज करने का गलत आदेश दिया है। रिव्यु का यह प्रावधान इसी लिए बनाया गया है कि तथ्यात्मक भूल कानून की गलती या सारवान तथ्यो की अनदेखी करके कर दिया जावे तो स्वयं ही पुर्नविचार कर भूल सुधार करे इसलिए यह रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित है। कानून की स्पष्ट भूल श्रीमान के निर्णय में यह भी है कि राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 271 तक एवम् राजस्थान पंचायती राज्य सामान्य नियम 1996 के नियम 140 से लेकर 168 तक भूमि विक्रय संबंधी व पट्टा जारी करने संबंधी नियम है परन्तु ग्राम पंचायत लवाण ने इस केस में किसी भी नियम अनुसार कोई कार्यवाही न कर और समस्त नियमों की अनदेखी कर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र ही भूमि विक्रय करने व पट्टा जारी करने का निर्णय सरासर अवैध रूप से जारी फरमा दिया। यहाँ तक कि आपति [illegible] सार्वजनिक नोटिस तक जारी नही किया और प्रार्थी को तो सुनवाई का अवसर [illegible] वंचित कर दिया है। परन्तु श्रीमान के निर्णय मे इस घौर इररेगूलरटी [illegible]। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक रूलिंग 1996 (1) आर एल [illegible] 27 दे रखी है कि यदि विक्रय संबंधी इन नियमों की अनदेखी कर पट्टा दिया जावे तो वह पट्टा गलत है । 1987 (1) आर एल आर 387 रूलिंग यह है कि प्लोजेबल टाईटल का सबूत दिये बिना प्राईवेट नेगोशिएसन्स द्वारा भूमि न बेची जावे व पट्टा न दिया जावे। इन दोनो रूलिंग की फोटो कॉपी भी बहस

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

के समय पेश कर दी गई थी परन्तु प्रथम तो उनका उल्लेख आदेश मे नही है दूसरे माननीय राज० उच्च न्यायालय की सर्वविदित उक्त रूलिंग की अनदेखी कर भूल से निर्णय पारित कर दिया गया है जो पुर्नविचार कर निरस्तनीय है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–08 जो निगरानी मुकदमा संख्या 34 /08 उनवानी घासीलाल बनाम नारायण मे पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे। रिव्यु स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की उपरोक्त निगरानी स्वीकार करने के आदेश फरमावे तथा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में तारीख 25–11–76 को भूमि विक्रय संबंधी जो आदेश पारित किया है तथा जो पट्टा तारीख 12–12–76 को जारी किया है उसे निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में दलील दी कि न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.3.2008 सही एवं दुरूस्त है एवं उसे रिव्यु किये जाने की कोई गुजाईश नहीं है। पूर्व में गोपाल नामक व्यक्ति ने जो निगरानी पेश की थी उसे तत्कालीन जिला कलक्टर जयपुर द्वारा खारिज किया गया है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा जो निगरानी खारिज की गई थी, वह 5 गुणा 45 फिट से संबंधित थी जो कि पूर्व वादग्रस्त स्थल का ही एक भाग है। यदि दीवानी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन है व उसमें यथास्थिति के आदेश दे रखे है तो पट्टे की वैधता या अवैधता को देखने का अधिकार दीवानी न्यायालय को रह जाता है। अब लगभग 32 वर्ष बाद एक सरसरी कार्यवाही से पट्टे को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इन अधिकारों का केवल मात्र सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। श्रीमानजी के पारित निर्णय दिनांक 24.3.2008 रिव्यु की परिधि में नहीं आता है। दिनांक 24.3.2008 को ही निर्णय हो चुका है एवं रिव्यु केवल मात्र एरर अपीरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ दी रिकार्ड पर ही हो सकता है। पारित निर्णय में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो रिव्यु की परिधि में आता हो। यदि न्यायालय ने किसी दस्तावेज को आधार बनाकर निर्णय कर दिया तो उसके लिए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यु पोषणीय नहीं होने से मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस संबंध में धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 अवलोकनीय है जो कि इस प्रकार है:–

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or SubCommittee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Inserted by Sec. 8 of the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 1994 (Act No. 23 of 1994) published in Rajasthan Gazette Extra-ordinary, Part IV (A) dated 06.10.1994 as a new Sec. (95- A) after Sec. 95 (w.e.f. 23-01-1994).

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec. (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

97- साथ ही सिविल प्रकिया संहिता 1908 के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है:—

ORDER XLVII REVIEW 1. Application for review of judgment.—(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order. 1. Ins. by Act 24 of 1951, s. 2. 229 (2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applied for the review. 1 [Explanation.—The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment.] 2. [To whom applications for review may be made.]—Rep. by the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1956 (66 of 1956) s. 14. 3. Form of applications for review.—The provisions as to the form of preferring appeals shall apply, mutatis mutandis, to applications for review. 4. Application where rejected.—(1) Where it appears to the Court that there is not sufficient ground for a review, it shall reject the application. (2) Application where granted.—Where the Court is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same: Provided that— (a) no such application shall be granted without previous notice to the opposite party, to enable him to appear and be heard in support of the decree or order, a review of which is applied for; and (b) no such application shall be granted on the ground of discovery of new matter or evidence which the applicant alleges was not within his knowledge, or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made, without strict proof of such allegation. 5. Application for review in Court consisting of two or more Judges.—Where the Judge or Judges, or any one of the Judges, who passed the decree or made the order a review of which is applied for, continues or continued attached to the Court at the time when the application for a review is presented, and is not or not precluded by absence or other cause for a period of six months next after the application from considering the decree or order to which the application refers, such Judge or Judges or any of them shall hear the application, and no other Judge or Judges of the Court shall hear the same. 6. Application where rejected.—(1) Where the application for a review is heard by more than one Judge and the Court is equally divided, the application shall be rejected. (2) Where there is a majority, the decision shall be according to the opinion of the majority. 7. Order of rejection not appealable. Objections to order granting application.—2 [(1) An order of the Court rejecting the application shall not be appealable; but an order granting an application may be objected to at once by an appeal from the order granting the application or in an appeal from the decree or order finally passed or made in the suit.] (2) Where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear, he may apply for an order to have the rejected application restored to the file, and, where it is proved to the satisfaction of the Court that he was prevented by any sufficient cause from appearing which such application was called on for hearing, the Court shall order it to be restored to the file upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for hearing the same. (3) No order shall be made under sub-rule (2) unless notice of the application has been served on the opposite party. 8. Registry of application granted, and order for re-hearings.—When an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register and the Court may at once re-hear the case or make such order in regard to the re-hearing as it thinks fit. 1. Ins. by Act 104 of 1976, s. 92 (w.e.f. 1-2-1977). 2. Subs. by Act 104 of 1976, s. 92, for sub-rule (1) (w.e.f. 1-2-1977). 230 9. Bar of certain application.—No application to review an order made on an application for a review or a decree or order passed or made on a review shall be entertained

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

रिव्यू के अंतर्गत विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय इस प्रकार है:—

जिला कलेक्टर, दौसा

1. यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीडित है तो उसे पुनरीक्षण प्रकियाओं से ठीक किया जा सकता है। परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्य या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामले को पुरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता ह पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट निपटीशन का स्थान नहीं ले सकती है।(रणजीत बनाम राजस्थान राज्य, 2012 आरबीजे 433)
2. **Review – error apparent on the face of record, means an error which strike on or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions.** (राजाराम व अन्य बनाम गुरूदेव सिंह व अन्य, 2015 आरबीजे 591–592)
3. अभिनिर्धारित–विधि के हर पहलुओं पर विचार कर सिंगल बैंच द्वारा आदेश गुण अवगुण के आधार पर पारित किया गया। स्पष्टतया प्रत्यक्ष रूप से रिकार्ड पर कोई त्रृटि नहीं। एक बिन्दु जिसे सुना जाकर निर्णित कर दिया गया है, वह रिव्यू का आधार नहीं बन सकता है(राजाराम एवं अन्य बनाम गुरूदेव सिंह एवं अन्य 2015 आरआरडी 665 2015 आरबीजे 591)

7. उपरोक्त वर्णित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 व सिविल प्रकिया संहिता के सुसंगत प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत का हमने अवलोकन किया। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय प्रकरण सं0 34/2008 दिनांक 24.3.2008 जिसके विरूद्ध वर्तमान में यह रिव्यू पेश की गई है उसका हमने अवलोकन किया। उक्त आदेश में जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं तथा न्यायिक बिन्दुओं के आधार पर अपना निर्णय पारित किया। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 24.3.2008 में निम्न भूल का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार है कि दिनांक 13.9.1976 को पट्टा प्रदान करने की पत्रावली में बार्ड पंचों द्वारा कोई मौका रिपोर्ट नहीं चाही गई। द्वितीय मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली पर नहीं है। तीसरा यह कि आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। चौथा यह कि आपत्ति नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। पांचवां यह कि ग्राम पंचायत के समक्ष श्री गोकुल चंद शर्मा द्वारा विवादित भूमि पर उज्रंदारी पेश की। छठा यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उज्रदार को सुनकर एवं दो गवाह के बयान लेकर उज्रदारी का निस्तारण किया। सातवां पुनः कि उज्रदारी पर दो गवाहों के बयान लेकर निस्तारण किया गया एवं आठवा यह कि पट्टे के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत निगरानी खारिज कर दी गई। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य एवं तर्क दिये गये है उनका निस्तारण पुनर्विलोकन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है जो कि उपर उल्लेखित विभिन्न दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है। रिव्यू के अंतर्गत तथ्य, साक्ष्य या विधि की त्रृटियों को सही नहीं किया जाता किन्तु केवल वह अभिलेख की त्रुटियां जो देखने से ही प्रतीत हो, उन पर निर्णय किया जा सकता है। यदि निर्णय त्रृटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्य या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामले को पुरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। साथ ही **Error apparent on the face of record, means an error which strike on or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions.** अतः मैं इस बात से असहमत हूँ कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण मे चाहा जा रहा अनुतोष रिव्यू के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested